

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

सेवानिवृति आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं को अधिवार्षिक की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र.सं	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती (राउमावि/राबाउमावि)	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
1	किशोर सिंह राजपुरोहित, व्या० रामावास कला- पाली	इतिहास	04-12-1956	31-12-2016
2	राजेन्द्र कुमार शर्मा, व्या० नमाना - बूंदी	वाणिज्य	01-10-1956	30-09-2016
3	बदरी नारायण जाट, व्या० कोटखावदा - जयपुर	वाणिज्य	01-01-1957	31-12-2016
4	बालगोविन्द शर्मा व्या० इतिहास, कोटखावदा - जयपुर	इतिहास	08-07-1956	31-07-2016
5	रामलाल सिंह, व्या० दुधवा - सीकर	इतिहास	20-08-1956	31-08-2016
6	भगवानाराम, व्या० बघेला - चूरु	इतिहास	12-02-1957	28-02-2017
7	शेख गुलाम रसूल, व्या रानीवाडा - जालौर	इतिहास	15-03-1957	31-03-2017

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(बी.एल.स्वर्णकार)

आईएसएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृति/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- (2) संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- (3) सम्बन्धित उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- (4) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- (5) सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र -6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैय प्रमाण पत्र जारी करें।
- (6) संबन्धित प्राध्यापक।
- (7) रक्षित पत्रावली।

(8) कम्प्यूटर अनुभाग - वेबसाईट पर अपलोड हेतु

दिनांक:- 21/07/2016


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, : माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केशवपुरा कोटा जिनकी जन्मतिथि 12-10-57 है एवं राज्य सेवा में प्रथम निवृत्ति तिथि 15-09-83 हैं, ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 01-08-16 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केशवपुरा कोटा राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम-50 (1) के प्रावधानानुसार 45 वर्ष की आयु एवं 15 वर्ष की योग्य सेवा दोनो ही शर्तें पूर्ण करते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केशवपुरा कोटा राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम-50 (1) के अन्तर्गत दिनांक 01-08-16 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान की जाती है।



(बी.एल.स्वर्णकार)
आईएसएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 22-7-16

कंमाक:-शिविरा/मा/संस्था/ए-6/राजेन्द्र कुमार/15-16
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 01- संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग कोटा
- 02- उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कोटा
- 03- उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा कोटा
- 04- जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कोटा
- 05- श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केशवपुरा कोटा
- 06- प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केशवपुरा कोटा
- 07- प्रभारी बी-1/11/111
- 08- निजि/रक्षित प्रत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर